(59)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 03/2015
उनवान मुकदमा

1 श्री हिरा पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
2 श्री लालु पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
3 श्री धारजी पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
4 श्री सुखला पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
5 श्री छगन पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
6 श्री सेवा पिता श्री कानिया जाति भील,उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली
हाल भैसागबारी ग्राम पंचायत केलामेला तहसील पिपलखुंट प्रतापगढ

वादीगण

बनाम

1 श्रीमती होमली बेवा कानिया जाति भील उम्र वयस्क ,निवासी मूंगथली हाल भैसागबारी ग्राम पंचायत केलामेला तहसील पिपलखुंट जिला प्रतापगढ
2 श्री रामु पिता श्री रूपा जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी मूंगथली तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
3 श्री दलजी पिता श्री रूपा जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी मूंगथली तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
4 श्री कल्पेश पिता श्री रूपा जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी मूंगथली तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
5 श्रीमती रूपा बेवा श्री रूपा जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी मूंगथली तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
6 श्रीमती वजी पत्नि नानका जाति भील,उम्र वयस्क,निवासी भवानपुरौ तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
7 श्री तहसीलदार साहब, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,आर.टी.एक्ट
निर्णय

दिनांक :— 13.03.2020

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत् प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगला पिता हलिया को माही विस्थापित के रूप में सर्वे नम्बर 866/346/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा लगानी 5.83 पैसा सर्वे नम्बर 867/348/1 रकबा 03 बीघा लगानी 1.50 पैसा ,सर्वे नम्बर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा लगानी 0.92 पैसा वाके ग्राम मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)में आवंटित की गई हैं । मुल पुरूष मंगला के देहावसान के बाद वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 22.05.1992 के द्वारा वादीगण के पिता कानीया पिता मंगला के नाम बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है । वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं राज्य सरकार में नियमित रूप से लगान अदा करते चले आ रहे है । वंशावली अनुसार मुल पुरूष मंगला पिता हलिया के पुत्र कानिया पिता मंगला है । कानिया के आठ वारीसान यथा रूपा, हिरा, लालु, धारजी, सुखला, छगन, सेवा, व होमली है व श्री रूपा के तीन पुत्र रामु दलजी, कल्पेश व पुत्री रूपी वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण का समान हक ,हित व काश्त करते चले आ रहे है ,वाद का कारण तब पैदा हुआ जब वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर सुधार कार्य कर रहे थे कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादीगण के साथ झगडा फसाद करने लगे तथा कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि को छोड कर चले जाओ यह भूमि हमारी है तथा अब हम इस भूमि पर आपको खेती नही करने देंगे । उक्त भूमि दादा मंगला को माही विस्थापित में प्राप्त हुई है। पता करने पर ज्ञात हुआ की वादग्रस्त कृषि सर्वे नंबर 866/346/1 रकबा 03 बिघा व खसरा नंबर 347 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 06 को बिना वादीगण की जानकारी दिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पंजीयन करा कर नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 04.10.2007 द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दिया इसलिये अब वादीगण के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है । जिस हेतु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह वाद पेश किया है । वादग्रस्त भूमि आराजी सर्वे नं. 866/346/1 रकबा 03 बीघा व सर्वे नंबर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा में से 01 बीघा कृषि भूमि बाबत् नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 04.10.2007 को भी निरस्त फरमावे ।

प्रतिवादीगणो को सम्मन तामिल भिजवाये गये न्यायालय में दिनांक 23.03.2015 को वादी व प्रतिवादी संख्या 06 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद तामिल के उपस्थित नही आऐ लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिनांक 23.03.2015 को दिये गये । प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 19.10.2015 को अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । श्रीमती वजी पत्नि नानका जाति भील निवासी भवानपुरा की ओर से जवाब पेशकर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या एक उनको अस्वीकार है । सर्वे नंबर 347 एवं सर्वे नंबर 867/348/1 वाके मौजा मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा का प्रतिवादीया श्रीमती वजी पत्नि नानका भील निवासी भवानपुरा एक मात्र खातेदार है और श्रीमती वजी ने उक्त खेत रूपा पिता कानिया एवं श्रीमती होमली बेवा कानिया द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से किमतन खरीदा हैं। और दिनांक 03.09.2007 को विक्रय–पत्र का निष्पादन हुआ है । और उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर श्रीमती वजी पत्नि नानका उक्त खेतो के खातेदार है ।सर्वे नंबर 867/348/1 ,सर्वे नंबर 347 प्रतिवादीया श्रीमती होमली बैवा कानिया एवं रूपा पिता कानिया से विधिवत खरीदा गया है । नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 04.10.2007 विक्रय–पत्र के आधार पर खोला गया है जो कि कानुनन सही है। और वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण का अब उक्त कृषिभूमि खेतो में कोई हक, हिस्सा नही है । प्रतिवादीया श्रीमती वजी उक्त खेतो के खातेदार कृषक है और खातेदार कृषक के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है । साथ ही कथन किया की वाद में वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक पांच ने दुरभी संन्धि कर पेश किया है और गैरकानुनी रूप से प्रतिवादीया वजी को क्षति पहुंचाना चाहते है । विक्रय–पत्र को प्रभावहीन एवं बेअसर केवल मात्र सिविल न्यायालय ही अगर विक्रय–पत्र गैरकानुनी हो तो कर सकता है । राजस्व न्यायालय को विक्रय –पत्र को प्रभाव हीन या बेअसर करने का कोई अधिकार नही है । जवाब की नकल वादी अभिभाषक को दिलाई गई ।

उक्त प्रकरण में वादी ने फर्द दस्तावेज पेश किये जिनमें नामान्तकरण संख्या 293,295,563,587,623 ग्राम मूंगथली कोहाला तहसील बांसवाडा व जमाबंदी खतौनी ग्राम मूंगथली ,कोहाला नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 27.07.2009 व अन्य दस्तावेज पेश किये गये ।

दिनांक 19.11.2015 को तनकीयात कायम की गई ।

तनकी संख्या–1 आया वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मगंला पिता हकरिया का माही विस्थापित में आवंटित सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा लगानी 5.83 पैसा सर्वे नम्बर 867/348/1 रकबा 03 बीघा लगानी 1.50 पैसा ,सर्वे नम्बर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा लगानी 0.92 पैसा वाके ग्राम मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा वाद ग्राम भूमि नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 22.05.1992 वादीगण के पिता कालिया पिता मंगला के बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है । नियमित रूप से लगान की अदा कर रहे है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने के हकदार है ।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

जिम्मे वादी

तनकी संख्या–2 आया वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये की वादगस्त भूमि सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 3 बीघा व सर्वे नं 347 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को बिना वादी की जानकारी विक्रय पत्र पंजीयनद्वारा नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 04.10.2007 दिशा उक्त नामान्तकरण वादी के विरूद्व प्रभावित के असर होकर शून्य है । प्रतिवादी संख्या 6 वाद ग्रस्त भूमि के बेचान कर सकता है व शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किये जाने का आदेश दिया जावें ।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या–3 आया सर्वे नं 347 एवं सर्वे नं. 867/348/1 वाके मौजा मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा का प्रतिवादीया संख्या श्रीमती वजी पत्नि नानका भील निवासी ग्राम भवनपुरा एक मात्र खातेदार है । श्रीमती वजी ने उक्त रूपा पिता नानीया एवं श्रीमती होमली बेवा नानीया द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से किमतन खरीदा है, व जान बुझकर प्रतिवादीया को हैरान परेशान करने वाद पेश किया है , वाद निरस्त कराने का प्रतिवादीया अधिकारी है ।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या –4 अनुतोष

गवाहन श्री कलजी पिता रूपा जाति भील निवासी साकबारी ग्राम पंचायत केलामेला तहसील पिपलखुंट जिला पिपलखुंट ने अपने बयान में कथन किया की वादीगण व प्रतिवादीगण को जानता हूं, उनके पूर्वज मंगला पिता हलिया को माही विस्थापित में वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई है । वादीगण विगम 01 माह पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि सुधार कार्य कर रहे थे कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादीगण के साथ झगडा प्रसाद करने लगे तथा कहने लगे कि वादग्रस्त भूमि को छोड कर चले जाओ यह भूमि हमारी है , प्रतिवादीगण को कहा कि वादग्रस्त भूमि पर हम हमारे पिता कानिया के समय से काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त जमीन दादा मंगला को माही विस्थापित में प्राप्त हुई है । वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के बतौर सहखातेदारान के दर्ज किया जाना आवश्यक है ।

साक्षी लालु पिता कानीया जाति भील उम्र वयस्क निवासी मूंगथली हाल मुकाम साकबारी ग्राम पंचायत केलामेला तहसील पिपलखूंट जिला पिपलखूंट ने अपने कथन में वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण का समान हक,हित व हिस्सा होकर वादीगण व प्रतिवादीगण विरासती वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 03 बीघा सर्वे नंबर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा में से 01 बीघा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को बिना वादीगण की जानकारी दिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पंजीयत करा दिया जो कि वादीगण का कब्जा काश्त है तथा वादीगण को यह अन्देशा है कि प्रतिवादी संख्या 06 वादग्रस्त भूमि को ,बेचान रहन कर सकता है जिससे वादीगण को असहनिय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो, पैसो से संभव नही है तथा वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है व सुविध संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है ।

साक्षी प्रकाश निनामा पुत्र लालु निनामा जाति भील निवासी साकबारी ग्राम पंचायत केलामेला तहसील पिपलखुंट जिला पिपलखुंट का होकर कथन किया की वादीगण व प्रतिवादीगण को जानता हूं कि उनके पूर्वजो मंगला पिता हलिया को माही विस्थापित में आवंटित सर्वे नंबर ।सर्वे नंबर 866/346/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा लगानी 5.83 पैसा, सर्वे नंबर 867/348/1 ,सर्वे नंबर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा लगानी 0.92 पैसा वाके ग्राम मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा की गई । मुल पुरूष मंगला के देहावसान बाद वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 22.05.1992 के द्वारा वादीगण के पिता कानीया पिता मंगला के बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है । वाद का व्यवहार कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विगत 01 माह से खेत में कृषि कार्य करने में रूकावट व बांधा पैदा करने , का झगडा प्रसाद करने तथा विरासती कृषि भूमि को अपने नाम से एक मात्र खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकन करा देने से व वादग्रस्त भूमि के सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 03 बीघा व सर्वे नंबर

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा में से 01 बीघा का अनाधिकृत रूप से बैचान कर प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में नामान्तकरण खुलवा देने से उत्पन्न हुआ है ।

साक्षी नरू पिता कालिया जाति भील उम्र वयस्क ,निवासी मुकाम भैसागबारी ग्राम पंचायत केला मेला तहसील पिपलखूंट ,जिला प्रतापगढ (राज.)

ने अपने कथन किया की वादी व प्रतिवादीगण को जानता हूं कि उनके पूर्वज मंगला पिता हलिया को माही विस्थापित में आवंटित सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा लगानी 5.83 पैसा सर्वे नम्बर 867/3458/1 रकबा 03 बीघा लगानी 1.50 पैसा ,सर्वे नम्बर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा लगानी 0.92 पैसा वाके मौजा मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा की गई मूल पुरूष मंगला के देवसान बाद वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 22.05.1992 के द्वारा वादीगण के पिता कानिया पिता मंगला के बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं राज्य सरकार में नियमित रूप से लगान अदा करते चले आ रहे है । प्रतिवादी संख्या 06 को बिना वादीगण की जानकारी दिये,रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा पंजीयन करा दिया,जो कि वादीगण के विरूद्व प्रभावहीन होकर शुन्य है । वाद पत्र में तनकीवार अभिनिर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या–1 आया वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मगंला पिता हकरिया का माही विस्थापित में आवंटित सर्वे नंबर 866/346/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा लगानी 5.83 पैसा सर्वे नम्बर 867/348/1 रकबा 03 बीघा लगानी 1.50 पैसा ,सर्वे नम्बर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा लगानी 0.92 पैसा वाके ग्राम मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा वाद ग्राम भूमि नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 22.05.1992 वादीगण के पिता कालिया पिता मंगला के बतौर उत्तराधिकारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है । नियमित रूप से लगान की अदा कर रहे है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने के हकदार है ।

जिम्मे वादी

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हुई है प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती वजी ने उक्त खेत रूपा पिता कानिया एवं श्रीमती होमली बेवा कानिया द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से किमतन खरीदा हैं । और दिनांक 03.09.2007 को विक्रय–पत्र का निष्पादन हुआ है । और उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर श्रीमती वजी पत्नि नानका उक्त खेतो के खातेदार बने है ।वादी दस्तावेजो से यह प्रमाणित करने में असफल रहे है,कि आराजी नंबर 867/348/1 जो उनके बाप दादा को आवंटित हुई तथा जो भूमि 867/348 वजी(प्रतिवादी संख्या 6) ने खरिदी एक ही है । अतः उक्त तनकी वादी द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है ।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या–2 आया वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये की वादगस्त भूमि सर्वे नंबर 866/348/1 रकबा 3 बीघा व सर्वे नं 347 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को बिना वादी की जानकारी विक्रय पत्र पंजीयनद्वारा नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 04.10.2007 दिशा उक्त नामान्तकरण वादी के विरूद्व प्रभावित के असर होकर शून्य है । प्रतिवादी संख्या 6 वाद ग्रस्त भूमि के बेचान कर सकता है व शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किये जाने का आदेश दिया जावें ।

जिम्मे वादी

वादी के पूर्वजो के नाम भूमि जरिये नामान्तरकरण 293 दर्ज हुई है,जिसमें आराजी नंबर 867/348/1गैर खातेदारी से आवंटन का वर्णन है । जबकि विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2007 से विक्रित भूमि आराजी नंबर 867/348 है । संवत 2067–70 की जमाबन्दी की नकल से भी यह प्रमाणित है, की वजी जो कि प्रतिवादी संख्या 6 है के नाम भूमि आराजी नंबर 867/348 रकबा 3 बीघा दर्ज है । अत वादी उक्त भूमियां एक होना प्रमाणित करने असफल रहे है ।श्रीमती वजी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

(63)

वादी के पूर्वजो के नाम भूमि जरिये नामान्तरकरण 293 दर्ज हुई है,जिसमें आराजी नंबर 867/348/1गैर खातेदारी से आवंटन का वर्णन है । जबकि विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2007 से विक्रित भूमि आराजी नंबर 867/348 है । संवत 2067–70 की जमाबन्दी की नकल से भी यह प्रमाणित है, की वजी जो कि प्रतिवादी संख्या 6 है के नाम भूमि आराजी नंबर 867/348 रकबा 3 बीघा दर्ज है । अत वादी उक्त भूमियां एक होना प्रमाणित करने असफल रहे है ।श्रीमती वजी ने उक्त खेत रूपा पिता कानिया एवं श्रीमती होमली बेवा कानिया से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से किमतन खरीदा है । और दिनांक 03.09.2007 को विक्रय–पत्र का निष्पादन हुआ है , यह प्रमाणित है । वादी इस तनकी को भी प्रमाणित करने मे विफल रहे है,अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या–3 आया सर्वे नं 347 एवं सर्वे नं. 867/348/1 वाके मौजा मुंगथली तहसील व जिला बांसवाडा का प्रतिवादीया संख्या श्रीमती वजी पत्नि नानका भील निवासी ग्राम भवनपुरा एक मात्र खातेदार है । श्रीमती वजी ने उक्त रूपा पिता नानीया एवं श्रीमती होमली बेवा नानीया द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से किमतन खरीदा है, व जान बुझकर प्रतिवादीया को हैरान परेशान करने वाद पेश किया है , वाद निरस्त कराने का प्रतिवादीया अधिकारी है ।

जिम्मे प्रतिवादी

प्रतिवादी संख्या 6 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रूपा तथा होमली से खरिदा है , तथा वर्तमान जमाबन्दी में उनके नाम तनकी में वर्णित भूमियां अंकित है । विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2007 को पंजीकृत किया गया है । उक्त आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 उक्त तनकी में वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार हो गयी है । अतः तनकी संख्या तीन प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या–4 अनुतोष

उक्त प्रकरण की बहस हेतु दिनांक 05.03.2020 निहित होने से वादी की एक तरफा बहस सूनी गई । वादी अभिभाषक ने अपने कथन में कहा की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही की है । प्रतिवादी संख्या 6 ने जवाब तो दिया था, पर उनके अभिभाषक ने No Instruchtion कर दिया है। वादी ने कहा की केला मेला गांव में 2068–71 जमाबंदी में हमारा नाम है, लेकिन मूंगथली में हमे माही विस्थापित के नाते भूमि मिली थी । मंगुथली में भूमि मेरे पिता मंगला को आवंटन हुई थी अतः हमारा नाम भी खातेदारी जोडा जावे ।

आदेश

पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र ,साक्ष्य दस्तावेजो व बहस में प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि भूमि को खातेदार प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती वजी पत्नि नानका भील निवासी गांव भवानपुरा ने कृषि भूमि खाता संख्या 200 नई व 181 पुरानी के सर्वे नंबर सर्वे नंबर 347 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा किस्म भूमि एवं सर्वे नंबर 867/348/है। संवत–2067–2070 की जमाबंदी की नकल से भी यह प्रमाणित है, की प्रतिवादी सं.6 के नाम भूमि आराजी संख्या 867/348 रकबा 3 बीघा दर्ज है। वादी उक्त भूमियॉ एक होना प्रमाणित करने में असफल रहे है । मौजा मुंगथली की वादग्रस्त कृषि भूमि रूपा पिता कानिया एवं श्रीमती होमली बेवा कानिया से प्रतिवादी संख्या 6 ने रजिस्ट्र्ड दस्तावेज से किमतन क्रय की है, अतः वादी का वाद पोषणीय नही पाये जाने से खारिज किया जाता है । वाद खर्च समस्त पक्षकार अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 सरे इजलास सुनाया वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है । निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)